दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/04/16	पत्रावली वादी अर्जी पत्रावली वास्ते अवलोकनार्थ रिपोर्ट तहसीलदार दि. 11-5-16 को पेश हो।	
11/05/16	पत्रावली वादी अर्जी पत्रावली मय आदेशानुसार दिनांक 01-6-16 को पेश हो।	
16/06/16	पत्रावली पेश हुई। ... प्रार्थी व स्वयं पत्नी ... PDR (अप्रार्थी संख्या 01) उप. ... HDR ... की सहमति ... गई, HDR ... की सहमति अनुसार भार्गी प्राप्ति पत्र ... स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है. निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली हो. पत्रावली नम्बर से ... हो।	

16/6/16

उपखण्ड अधिकारी (कलक्टर)
इंस्पेक्टर टैक्स ...

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत बोराज

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 184/2015

रज्जु दिनांकः 29/12/2015

निर्णय दिनांक : 16/06/2016

1. अर्जुन सिंह पुत्र शंकरलाल
2. रामेश्वर पुत्र रामजीवण
3. गणेशी धर्मपत्नि रामलाल
4. नन्दकंवर पुत्री रामलाल
5. विमला पुत्री रामलाल
6. संतोष पुत्री रामलाल
7. बबीता पुत्री रामलाल
8. किरण पुत्री रामलाल

समस्त जातियान जाट, निवासीगणः ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

——वादीगण

बनाम

तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

——प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्त किये जाने तरमीम व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री हरीश कुमार साहू एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांकः 16/06/2016

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दूदू

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती तरमीम व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादीगण की खातेदारी की आराजीयात खसरा नंबर 2310, 2311, 2312, 2313, 2314 कुल किता 05 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। आराजीयात के समीप ही खसरा नंबर 2470, 2469, 2438 आदि स्थित है, आराजीयात के मध्य वर्तमान में महलां से बोराज डामर सडक स्थित है। वादीगण विवादित आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। खसरा नंबरान पर जो महलां से बोराज सडक निकाली गयी है वह वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वर्तमान में स्थित है जो खसरा नंबर 2470, 2469 तत्पश्चात् वादीगण की आराजीयात 2314 व 2311 के कुछ हिस्से में से होकर जा रही है। राजस्व रिकॉर्ड में जो सडक निकाली गयी है उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान के भागो में से न होकर संपूर्ण सडक वादीगण की आराजीयात खसरा नंबर 2310, 2314 में से राजस्व रिकॉर्ड में निकाल दी गयी जो गलत हुआ। वर्तमान में मौके पर जो सडक है उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की तरमीम होनी चाहिये थी। गलत तरमीम के आधार पर वादीगण की खातेदारी की आराजीयात 0.48 हैक्टेयर कम कर दी गयी, जबकि विवादित आराजीयात वादीगण की खातेदारी की आराजीयात में से मात्र 340 मीटर ही निकाली गयी है, जिसके अनुसार केवल 0.08 हैक्टेयर जमीन वादीगण के हिस्से में से कम होनी चाहिये परन्तु 0.4800 हैक्टेयर जिसमें से 0.40 हैक्टेयर जमीन अधिक कम कर दी गयी, जो वापस वादीगण के हिस्से में दर्ज होनी चाहिये। वादीगण ने दिनांक 15/12/2015 को तहसीलदार के यहां राजस्व रिकॉर्ड में हुयी तरमीम व वादीगण के हिस्से की जो 0.40 हैक्टेयर अधिक जमीन सडक के नाम दर्ज कर दी गयी है उसको वापिस वादीगण के हिस्से में दर्ज करने बाबत कहा तो प्रतिवादी साफ इंकार हो गया तथा न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी इसलिये यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

वादीगण ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
दूदू

Scanned by CamScanner

मौके पर मौजुद सडक महलां से बोराज संलग्न नजरी नक्शे अनुसार तरमीम की जाकर वादीगण के हिस्से में 0.40 हैक्टेयर जमीन दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद पत्र में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे न अन्य से करावे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 02.02.2016 को तहसीलदार मौजमाबाद से रिपोर्ट प्राप्त हुई, शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार मौजमाबाद ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये कि ग्राम बोराज की जनाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 11 में अर्जुन सिंह पुत्र शंकरलाल हि. 124/375 बिना रहन रामेश्वर लाल पुत्र रामजीवण हि. 124/375 राहिन मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा महलां, मुर्तहीन, गणेशी देवी ध.प. रामलाल, नन्दकंवर, विमला, संतोष, बबिता किरण पुत्रियां रामलाल हि. 124/375 जाति जाट सा. कडवो का बास, डा. प्रमोद ढाका पुत्र रामनाथ ढाका जाति जाट हि. 1/125 नि. प्लॉट नंबर 23 बृज कॉलोनी हवा सडक जयपुर के नाम से खसरा नंबर 2310 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2311 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2312 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2313 रकबा 10.10 हैक्टेयर खसरा नंबर 2314 रकबा 0.72 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 3.31 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी के लगवा दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 2388 रकबा 1.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडक स्थित है जो विभिन्न खातेदारो के नाम से दर्ज है। खसरा नंबर 2388 रकबा 1.50 हैक्टेयर की कुल लंबाई 3000 मीटर है इस प्रकार इस सडक की चौडाई 5 मीटर होती है। खातेदारान से पूछने पर बताया गया कि सडक दोनो तरफ के खेता की मेड पर बनाई गई है एवं दोनो तरफ से बराबर बराबर भूमि ली गई है जिससे एक तरफ की चौडाई 2.5 मीटर होती है। वादीगण के खेत की सडक की तरफ कुल लंबाई 344 मीटर है। इस प्रकार वादी के खातेदारी रकबे में से 344X2.50=860 वर्गमीटर क्षेत्रफल कम होकर सडक में जुडना चाहिए था जबकि खसरा नंबर 2388 रकबा 1.50 हैक्टेयर में वादीगण की भूमि में से 0.48 हैक्टेयर (4800 वर्गमीटर) क्षेत्रफल जोडा गया है, जो वास्तविक

Scanned by CamScanner

एवं मौके से अधिक है। वादीगण की भूमि का माप करने पर मौके पर 3.70 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है। इस प्रकार वादीगण के पास अधिक भूमि है जबकि जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में कम दर्ज की गई है। खसरा नंबर 2388 रकबा 1.50 हैक्टेयर भूमि का कटान दोनो तरफ के समस्त खातेदारान की भूमि में से होना है। वादीगण की भूमि में से खसरा नंबर 2388 रकबा 1.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडक में दर्ज रकबा 0.48 के स्थान पर रकबा 0.0860 हैक्टेयर किया जाकर शेष भूमि 0.3940 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खाते मं दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई।

बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदिया, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 2310, 2311, 2312, 2313, 2314 कुल क़िता 05 कुल रकबा 3.31 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर की आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि वादीगण की आराजीयात के लगवा दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 2388 रकबा 1.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडक स्थित है जो विभिन्न खातेदारो के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 2388 रकबा 1.50 हैक्टेयर की कुल लंबाई 3000 मीटर है इस प्रकार सडक की चौडाई 5 मीटर होती है। वादीगण की भूमि की माप मौके पर 3.70 हैक्टेयर है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण के पास अधिक भूमि है किन्तु जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में गलती से भूमि कम दर्ज कर दी गयी है जो गलत है, जबकि वास्तविकता में वादीगण की भूमि में से खसरा नंबर 2388 रकबा 1.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सडक में दर्ज रकबा 0.48 के स्थान पर 0.0860 हैक्टेयर दर्ज होनी चाहिये थी एवं शेष भूमि 0.3940 हैक्टेयर वादीगण के हिस्से में दर्ज होनी चाहिये थी जो नहीं हुई है जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादीगण का वाद तहसीलदार मौजमाबाद की सहमतिनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के खसरा नंबर 2388 रकबा 1.50 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडक में दर्ज रकबा 0.48 के स्थान

Scanned by CamScanner

पर 0.0860 हैक्टेयर दर्ज किया जाकर शेष रकबा 0.3940 हैक्टेयर वादीगण के हिस्से में दर्ज की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वर्तमान नक्शा ट्रेस में मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार तरमीम करे। खर्चा मुकदमा वादीगण स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बोराज में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दूदू

Scanned by CamScanner